

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

जज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ ( राज.)

बनाम नाना अंत

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 138/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
09/04/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>नाना</u></p> <p>पिता श्री <u>चीसा गुजर</u></p> <p>निवासी <u>भडाना का खेडा बस्ती</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम .....  <u>भडाना का खेडा (पन्हे पाल)</u> स्थित <u>खेडा</u> की आराजी नम्बर <u>4</u>  <u>19</u> <u>20</u> <u>1.55</u>  <u>0.23</u> <u>0.50</u></p> <p>कुल कीता <u>1+2=3</u> कुल रकबा <u>2.2800</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के <u>खेडा</u> की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>भडाना का खेडा (पन्हे पाल तह बस्ती)</u> स्थित <u>खेडा</u> की भूमि आराजी नम्बर <u>4</u> <u>19</u> <u>20</u>  <u>1.55</u> <u>0.23</u> <u>0.50</u></p> <p>कुल कीता <u>1+2=3</u> रकबा <u>2.2800</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500=00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पच्चे सत्तर</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(बीनू देवल)  सहायक कलक्टर एवं  उपखण्ड अधिकारी  चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>